:: कार्यालय कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी झाबुआ (म.प्र.) ::

क्रमांक/2843/फा.क्र. /भा.नि./2019 झाबुआ, दिनांक 21/09/2019

//आदेश//

भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार उप निर्वाचन 193 झाबुआ (अजजा) के दौरान राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों अथवा अन्य असामाजिक तत्वों के द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु– निर्वाचकों को भयभीत, प्रभावित, डराने, एवं रिश्वत के सभी प्रकारो से निर्वाचकों को प्रलोभित करने, अभित्रस्त करके या निःशुल्क भोजन अथवा नगदी, उपहार मद्यपान के वितरण, धनशक्ति तथा बाहुबल के प्रयोग को रोकने के लिए और अवैध सामग्री का परिवहन, अवैध हथियारों, गोला–बारूद समाज विरोधी तत्वों की आवाजाही आदि अवैधानिक कार्यो पर निगरानी रखने के लिए तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामलो, शिकायतो/ सूचनाओं पर तत्काल जॉच एवं प्रभावी कार्यवाही कार्यवाही के लिए जिला झाबुआ के विधानसभा क्षेत्र 193 झाबुआ में निम्नवत् अधिकारियों को उनके सम्मुख दर्शाये गये क्षेत्र के लिए **स्थायी निगरानी दल** (**Static Surveillance Team**) में की ड्यूटी लगाई जाती है। यह दल निर्वाचन की घोषणा होने की दिनांक .... से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक क्रियाशील रहेगा। **स्थायी निगरानी दल**, चुनाव के दौरान की गई कार्यवाही को निर्धारित प्रोफार्मा में वरिष्ठ अधिकारियों, कन्ट्रोल रूम एवं चुनाव सेल कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेगें।

विधानसभा का नाम	पुलिस थाना क्षेत्र	अधिकारी/ मजिस्ट्रेट का नाम / मोबाईल नंबर	पुलिस अधिकारी का नाम
193–झाबुआ (अजजा)	थाना झाबुआ	1. श्री अमनसिंह भूरिया उपयंत्री जल संसाधन उप संभाग झाबुआ **मो.9407428029**	उ.नि. शोभाराम चौहान थाना कल्याणपुरा मोबा. 9926074483
			आर. 579 करमसिंह थाना झाबुआ मो.न. 9669956583
	थाना कल्याणपुरा	2. श्री विष्णु मुजाल्दा उपयंत्री कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड झाबुआ मो. 9752849179	स.उ.नि. वेस्ता सोलंकी थाना रानापुर मोबा. 9630206264
			आर. 252 जामसिंह खराडी थाना रानापुर मोबा. 7049140284
	थाना रानापुर	3. जितेन्द्र परमार सहायक भूजलविद जिला भू जल सर्वेक्षण इकाई जिला झाबुआ मो.न. 9993776360	स.उ.नि. हरीशचन्द्र रक्षित केन्द्र झाबुआ मोबा. 9425119833
			आर. 332 भुरजी थाना कल्याणपुरा मोबा. 7049140353
	रिर्जव	श्री कलमसिंह कनेश उपयंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, झाबुआ **मो. 9098878111**	–

स्थायी निगरानी दल (Static Surveillance Team) के कार्य :–

1. उक्त दल प्रतिदिन संलग्न निर्धारित **Anx.-C** में रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को भेजने व रिपोर्ट की प्रति संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं व्यय प्रेक्षक, सामान्य प्रेक्षक पुलिस प्रेक्षक को देंगे। जिला पुलिस मुख्यालय के नोडल अधिकारी प्रतिदिन संकलित प्रतिवेदन उक्त निर्धारित प्रपत्र में अगले दिन भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को भिजवाते हुए प्रतिलिपि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल एवं इस कार्यालय को भेजेंगे।
2. उक्त दल के द्वारा की गई कार्यवाही की वीडियोग्राफी होगी। इस दल की कार्यवाही कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में होगी।

Scanned by CamScanner

3. दल द्वारा वीडियोग्राफी के दौरान, दिनांक, स्थान व टीम के सदस्यों को रिकार्डिग करते हुए मूल सीडी/डीव्हीडी संबंधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जमा की जावेगी तथा जो अगले दिन जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगें।

4. उक्त दल आदर्श आचार संहिता तथा उसके उल्लंघन से संबंधित शिकायतों पर कार्य करेगें और निर्वाचकों को रिश्वत देने के प्रयोजनार्थ बडी मात्रा में नगदी तथा अस्त्र–शस्त्र ओर गोला बारूद, शराब विरोधी तत्वों की आवाजाही को भयभीत करने, धमकी देने आदि की सभी शिकायतों पर ध्यान देगें।

5. उक्त दल निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/ राजनीतिक दलों द्वारा प्राधिकृत या वहन किये गये निर्वाचन व्यय के संबंध में सभी शिकायतों पर कार्य करेगें, और वीडियों निगरानी दल (वीएसटी) की मदद से वीडियोग्राफी करना, सभी मुख्य रैलिया, सार्वजनिक बैठकों या निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के पश्चात् राजनैतिक दलों द्वारा मुख्य व्यय के मामलों में कार्य करेगें। जिस किसी व्यक्ति से निश्धि मदे जब्त की गई या किसी समाजविरोधी तत्व जो अवैध गतिविधियों में लिप्त पाये गये हो के विरूद्ध शिकायत/ एफआईआर दर्ज करेगें और उसकी प्रति को जनसाधारण के अवलोकन को संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाकर उसे जिला निर्वाचन अधिकारी, व्यय प्रेक्षक को भेजी जायेगी।

6. नगदी उपहार, मदों, शराब या मुफ्त भोजन के वितरण का निर्वाचकों को धमकाने/अभित्रस्त करने, अस्त्र–शस्त्र/ गोला बारूद / समाज विरोधी तत्वों की आवाजाही संबंधि शिकायत प्राप्त होने पर उडन दस्ता तत्काल उस स्थान पर पहुचेगा और रिश्वत की मदो या अन्य अवैध मदो को जब्त करेगा, साक्ष्य को इकट्ठा करेगा गवाहों और जिन व्यक्तियों से जब्त किया गया है उनके बयान दर्ज करेगा। यदि उडन दसते के लिये उसस्थल पर पहुंचना संभव न हो तो उस क्षेत्र के निकटतम पुलिस थाने या स्थैतिक निगरानी दल को सूचना दी जाये जो शिकायत पर आवश्यक कार्यवाही के लिये उस स्थल पर दल भेजेगें।

7. उड़न दस्ते द्वारा अग्रेषित शिकायतों की प्राप्ति पर या व्यक्गित रूप से प्राप्त शिकायतों पर पुलिस प्राधिकारियों द्वारा दी जाने वाली जब्तियां उड़न दस्ते को सूचित की जायेगी ।

8. प्रत्येक उड़न दस्ता अपने वाहन में लगी हुई सार्वजनिक संबोधन प्रणाली द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में स्थानीय भाषा में निम्नलिखित घोषण करेगा।
''भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए नगदी या माल के रूप में परितोशण देता है या स्वीकार करता है तो यक एक वर्ष के कारावास या जुर्माना अथवा दोनो के द्वारा दण्डनीय है। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक अथवा किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है तो इसमें एक वर्ष की कारावास अथवा जुर्माना या दोनों ही दण्ड का प्रावधान है।

9. उक्त उड़न दस्तों का गठन रिश्वत लेने व देने वाले, दोनो के ही विरूद्ध मामले दर्ज करने और निर्वाचकों को भयभीत करने, धमकी देने में सम्मिलित व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये किया गया है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला झाबुआ

Scanned by CamScanner

पृ.क्रमांक / 2844 / फा.क्र. / भा.नि. / 2019 झाबुआ, दिनांक 21/09/2019

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. निर्वाचन आयोग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. संभाग आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. अपर कलेक्टर झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
5. उप जिला निर्वाचन अधिकारी झाबुआ।
6. नोडल अधिकारी(समस्त).. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. अनुविभागीय अधिकारी झाबुआ / थांदला / पेटलावद।
8. तहसीलदार झाबुआ / रानापुर / मेघनगर / थांदला / पेटलावद।
9. थाना प्रभारी (सर्व संबंधित) थाना..
10. सहायक संचालक, सूचना एवं प्रकाशन जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ ।
11. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
12. स्टेनो टू कलेक्टर झाबुआ।
13. सर्व संबंधित श्री...की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. गार्ड फाईल

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला झाबुआ

Scanned by CamScanner